# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 120 / 2020

मोहम्मद हनीफ पुत्र सरवर अली खान जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वार्ड न0 1 ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

**आदेश**

**दिनांक 03.12.2020**

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 03.11.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 120 / 2020 पर दिनांक 03.11.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुन के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुन को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुन से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2020 / 1884–1885 दिनांक 03.11.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुन ने पत्रांक आरटीआई / 2020 / 102 दिनांक 02.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अहमद अली खां पुत्र सबदल खां निवासी धनूरी को जारी सनद की प्रतिलिपि चाही गई थी। ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर मे स्थित है जिसका पुराना रिकार्ड तहसील मलसीसर मे स्थानान्तरित कर दिय गया है जिसके संबंध मे प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई / 2020 / 98 दिनांक 27.11.2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार ) झुंझुन पत्रांक आरटीआई / 2020 / 102 दिनांक 02.12.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अहमद अली खां पुत्र सबदल खां निवासी धनूरी को जारी सनद की प्रतिलिपि चाही गई थी। ग्राम धनूरी तहसील मलसीसर मे स्थित है जिसका पुराना रिकार्ड तहसील मलसीसर मे स्थानान्तरित कर दिय गया है जिसके संबंध मे प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई / 2020 / 98 दिनांक 27.11.2020 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचित किया जा चुका है। प्रकरण अपीलार्थी का प्रा0पत्र नियमानुसार अन्तरित किया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 03.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0खान )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू